न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 309/2022 निर्णय दिनांक :–26.02.2026

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. प्रहलाद पुत्र सुखपाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रतनलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. सीमा पुत्री जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिल टोंक राज0
4. देवलाल पुत्र सुखपाल जाति गुर्जर उम्र बालिब निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. मीरा पत्नी देवलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. छोटू पुत्र धन्ना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रामराज पुत्र धन्ना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. लादू पुत्र धन्ना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री रमेशचन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3

ध्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सी.पी.सी
बाबत् अवहेलना न्यायालय
आदेश दिनांक 24.12.2020 टी0आई0प्रा.पत्र संख्या 185/19
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली।

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 113 खसरा नम्बर 666 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर विर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बंध नही है, अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करते है तथा कब्जा करने की धमकी देते है। इसलिए प्रार्थीगण ने दावा स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के न्यायालय में पेश किया

था जहा से न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने एवं तारबंदी नही करने हेतु पाबंद किया गया था। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 24.12.2020 को जारी किया गया है। अप्रार्थीगण ने आज से 10 दिन पूर्व उक्त आराजी भूमि को बिना प्रार्थीगण की सहमति से जबरन लट्ठ के जोर पर हांक दिया। प्रार्थीगण ने कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा तुम्हे पाबंद कर रखा है तुम इस खेत को काश्त नही कर सकते है जिस अप्रार्थीगण ने कहा कि कोर्ट के आदेश होते रहते है कोर्ट के आदेश को हम नही मानते इस तरह अप्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश की खल्लम खुल्ला अवमानना की है जिसके लिए अप्रार्थीगण को 6 माह की सिविल कारावास की जेल एवं इनकी चल अचल सम्पति को कुर्क किया जाना संगत है। प्रार्थीगण साक्ष्य पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थीना पत्र अवमानना मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.12.2020 की अवमानना करने के जुर्म में 6 माह की सिविल कारावास की जेल की सजा दी जावे एवं इनकी चल एवं अचल सम्पति कुर्क की जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई ।

अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को मुख्यतया दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी हुई है। अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी कोर्ट के आदेश की अवमानना की ही। अतः अप्रार्थीगण को नियमानुसार 6 माह के कारावास से दण्डित किया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस मिमो पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 अनुसार उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के बावजूद बाधा व मजामहत उत्पन्न की है जिसके लिए प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय का निष्कर्ष व स्थापित सिद्धांत है कि भले ही विरोधी पक्ष अनुपस्थित हो, फिर भी सबुत व साक्ष्य द्वारा साबित करने का भार प्रार्थी पर होता है।

साक्ष्य व सबुत का अभाव – प्रार्थीगण ने आरोप लगाया है कि 10 दिन पूर्व उक्त आराजी भूमि को बिना प्रार्थीगण की सहमति से जबरन लट्ठ के जोर पर हांक दिया किन्तु इस गम्भीर घटना की कोई एफ0आई0आर0 पेश नही की गई और न ही मौके पर पंचनामा या अन्य साक्ष्य/सबूत उपलब्ध कराए गए। केवल मौखिक आरोपो के आधार पर किसी व्यक्ति को सिविल कारावास की सजा नही दी जा सकती। अवमानना की कार्यवाही में संदेह से परे साक्ष्य की आवश्कता होती है

Ruby

जो इस मामले में पूर्णतः विलोपित है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में साक्ष्य, सबूत इतने ठोस नही है कि उनके आधार पर अप्रार्थीगण की चल अचल सम्पति कुर्क करने व उन्हे जेल भेजने का आधार बनता हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 की परिधि में नहीं होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र कब्जेकाश्त के साक्ष्यों व सबूतो के अभाव के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली